# अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर

**स्रोत: पी.आई.बी.**

भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India- CCI) ने अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (Internationa Finance Corporation- IFC) द्वारा नेपिनो ऑटो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के **अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर** (**Compulsory Convertible Debentures-CCD)** को खरीदने की मंज़ूरी दे दी है।

- एक बॉण्ड जिसे परिपक्वता पर अथवा विशिष्ट शर्तों के तहत इक्विटी में परिवर्तित किया जाना है, एक **अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर (Compulsory Convertible Debenture- CCS)** के रूप में जाना जाता है। यह **ऋण और इक्विटी वाली सुविधाओं से लैस होता** है।
    - वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचरों के मामले में जहाँ निवेशक के पास परिवर्तित करने का विकल्प होता है, उसके विपरीत यहाँ रूपांतरण अनिवार्य है।
- स्टार्टअप और विकास-चरण (जब व्यवसाय लाभ कमाना शुरू कर दे) वाले व्यवसाय, जिन्हें विस्तार के लिये पूँजी की आवश्यकता होती है, लेकिन ये इक्विटी छोड़ने के लिये तैयार नहीं होते हैं, वे अक्सर CCD का उपयोग करते हैं।
- IFC एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना **वर्ष 1956** में निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देकर अपने विकासशील सदस्य देशों में **आर्थिक विकास** को आगे बढ़ाने के लिये की गई थी।
    - यह विश्व बैंक समूह का सदस्य है।
- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (Competition Commission of India- CCI) भारत सरकार का एक **वैधानिक निकाय** है जो प्रतिस्पर्द्धा**अधिनियम, 2002** को लागू करने के लिये ज़िम्मेदार है, जिसका विधिवत गठन मार्च 2009 में किया गया था।

**और पढ़े:** भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/compulsory-convertible-debentures